न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सोनभद्र।

उपस्थितिः– अनिल कुमार खरवार, उ0प्र0 न्यायिक सेवा.,

दंडवाद संख्या–859 / 2015 मु0अ0सं0–32 / 2015

राज्य बनाम राम अधार सिंह

धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0

थाना–करमा, जनपद सोनभद्र।

–: आरोप :–

मैं, अनिल कुमार खरवार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र आप अभियुक्त राम अधार सिंह को निम्न आरोप से आरोपित करता हूंः–

प्रथमः– यहकि आपने वर्ष 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बी0ए0 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्राप्त किया जबकि आप उक्त वर्ष में उक्त विद्य ालय में कोई परीक्षा नहीं दी थी। इसी प्रकार आपने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम0एस0सी0 रसायनशास्त्र से उत्तीर्ण करने का सर्टीफिकेट 1990 में प्राप्त किया। जबकि आपने उक्त विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही प्रवेश ही लिया। इस प्रकार आपने फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार आपने प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया गया। आप का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–419 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यहकि आपने वर्ष 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बी0ए0 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्राप्त किया जबकि आप उक्त वर्ष में उक्त विद्यालय में कोई परीक्षा नहीं दी थी। इसी प्रकार आपने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम0एस0सी0 रसायनशास्त्र से उत्तीर्ण करने का सर्टीफिकेट 1990 में प्राप्त किया। जबकि आपने उक्त विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही प्रवेश ही लिया। इस प्रकार आपने फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार आपने बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रच कर छल कारित किया। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–420 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यहकि आपने वर्ष 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बी0ए0 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्राप्त किया जबकि आप उक्त वर्ष में उक्त विद्य ालय में कोई परीक्षा नहीं दी थी। इसी प्रकार आपने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम0एस0सी0 रसायनशास्त्र से उत्तीर्ण करने का सर्टीफिकेट 1990 में प्राप्त किया। जबकि आपने उक्त विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही प्रवेश ही लिया। इस प्रकार आपने फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार आपने बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति की कूट रचना की। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–467 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यहकि आपने वर्ष 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बी0ए0 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्राप्त किया जबकि आप उक्त वर्ष में उक्त विद्यालय में कोई परीक्षा नहीं दी थी। इसी प्रकार आपने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम0एस0सी0 रसायनशास्त्र से उत्तीर्ण करने का सर्टीफिकेट 1990 में प्राप्त किया। जबकि आपने उक्त विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही प्रवेश ही लिया। इस प्रकार आपने फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस प्रकार आपने छल के प्रयोजन से कूट रचना की। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–468 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

.....2

पंचमः– यहकि आपने वर्ष 1988 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से बी0ए0 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र व अंक पत्र प्राप्त किया जबकि आप उक्त वर्ष में उक्त विद्यालय में कोई परीक्षा नहीं दी थी। इसी प्रकार आपने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय से एम0एस0सी0 रसायनशास्त्र से उत्तीर्ण करने का सर्टीफिकेट 1990 में प्राप्त किया। जबकि आपने उक्त विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और न ही प्रवेश ही लिया। इस प्रकार आपने फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उक्त कूट रचित दस्तावेज को यह जानते हूए कि उक्त अभिलेख कूटरचित हैं, को असल के रूप में उपयोग करते हुए आपने जन सेवा इण्टर मीडिएट कालेज फुलवारी में शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त किया। आपका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा–471 के अंतर्गत दण्डनीय है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांकः 09.09.2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनांकः 09.09.2016

(अनिल कुमार खरवार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र।